कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, छात्र परिषद् निर्वाचन–2016–17

अधिसूचना

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्रांकः केयू/मा0/छा0सं0/चु0/2016–17/1665 दिनांक 11.11.16 द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र परिषद 2016–17 के निर्वाचन नामित/मनोनीत निर्वाचन अधिकारी के रूप मैं (अधोहस्ताक्षरी), कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसरों एवं सम्बद्व महाविद्यालयों के छात्रसंघ संविधान में प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों के सुसंगत प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आज दिनांक 18.11.2016 को कुमाऊँ विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के निर्वाचन की अधिसूचना की घोषणा करता हूँ। जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

विश्वविद्यालय छात्र परिषद् पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगेः–

अध्यक्ष – एक

उपाध्यक्ष – दो (एक छात्र और एक छात्रा)

सचिव – एक

संयुक्त सचिव – एक

कोषाध्यक्ष – एक

विश्वविद्यालय के परिसरों/सम्बद्व महाविद्यालयों से निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय छात्र परिषद् का निर्वाचक मण्डल होता है। इसी निर्वाचक मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पत्रांक केयू/मा0/छा0प0 चु0/2016–17/1665 दिनांक 11.11.2016 के द्वारा परिसर/सम्बद्व महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों (मतदाताओं) की सूची विश्वविद्यालय से प्राप्त है। इस सूची में उल्लिखित मतदाता ही मतदान के लिए प्रतिभाग करेंगे। विश्वविद्यालय छात्र संविधान तथा यह अधिसूचना कुमाऊँ विश्वविद्यालय की वेब साइट www.kunainital.ac.in में भी उपलब्ध है। प्रत्येक पद हेतु छात्रसंघ संविधान अनुच्छेद 05 में उल्लिखित अर्हताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पद हेतु वही विद्यार्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने लिंगदोह समिति की सिफारिश लागू होने के सत्रः 2007–08 से आज तक किसी भी पद के लिए विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में छात्रसंघ/विश्वविद्यालय परिषद् के लिए चुनाव न लड़ा हो। प्रत्याशी के रूप में समस्त अर्हताएं पूर्ण करने तथा पूर्व में कोई भी चुनाव नहीं लड़ने का प्रमाण परिसर/महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप में नामांकन करते समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्र परिषद् के नियमों के अन्तर्गत अनिवार्यताएं भी पूरी करनी होंगी। इसके साथ ही प्रत्याशी सत्यापित फोटो, परिचय पत्र एवं

संबंधित परिसर एवं महाविद्यालय का संस्थागत छात्र होने का मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। प्रत्याशी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित होने का परिसर/महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र को भी प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव तथा अनुमोदक एक पद के लिए केवल एक प्रत्याशी का प्रस्ताव अथवा अनुमोदन करेंगे।

1. नामांकन शुल्क तथा जमानत धनराशि छात्रसंघ संविधान में समय–समय पर यथा संशोधित रूप में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही लिया जाएगा।
2. चुनाव स्थल एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा।
3. चुनाव कार्यक्रम निम्नवत हैः–

क्रमशः पेज–02

क0सं0	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक	समयावधि
1.	नामांकन	25.11.2016	11.00 – 01.30 बजे तक
2.	नामांकन वापसी	25.11.2016	01.45 – 02.30 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की जांच	25.11.2016	02.45 – 03.45 बजे तक
4.	अर्ह प्रत्याशीयों की सूची का प्रकाशन	25.11.2016	04.00 बजे
5.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	26.11.2016	11.00 – 01.30 बजे तक
6.	मतगणना	26.11.2016	मतदान के तुरन्त बाद
7.	परिणाम की घोषणा	26.11.2016	मतगणना के तुरन्त बाद
8.	शपथ ग्रहण	26.11.2016	परिणाम घोषित होने के उपरान्त

चुनाव अधिकारी

मो0– 9412162017

पृ0सं0/चु0अ0/छात्र परिषद/ दिनांकः 18.11.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्रों में निःशुल्क लोकहित/जनहित/छात्रहित में इस विज्ञप्ति को कुमाऊँ संस्करण में प्रकाशित करने का कष्ट करें:

1. अमर उजाला, अल्मोड़ा।
2. दैनिक जागरण, अल्मोड़ा।
3. उत्तर उजाला, अल्मोड़ा।
4. दैनिक हिन्दूस्तान, अल्मोड़ा।
5. राष्ट्रीय सहारा, अल्मोड़ा।
6. दैनिक आज, अल्मोड़ा।

चुनाव अधिकारी

मो0 9412162017